हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 11 अंक : 10 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 अक्टूबर, 2020

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू (27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

बैकलॉग के 1254 अविधिक पदों की भर्ती से जनता को 39585 करोड़ रूपये का चूना, दोषियों को सजा दी जाए: समता आन्दोलन

राज्य सरकार के पास एल.डी.सी./ कनिष्ठ सहायक के कोई भी बैकलॉग पद नहीं होते हुए अविधिक रुप से 1254 पदों पर की जा रही भर्तियों को रोकने की राज्यपाल एवं मुख्य सचिव से समता आन्दोलन समिति की अपील

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने राज्यपाल महोदय एवं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को पत्र भेज कर कनिष्ठ लिपिक/ कनिष्ठ सहायक बैकलॉग 1254 पदों पर अविधिक भर्ती से होने जा रहे राज्य सरकार को 3,95,84,48,63,040/- (39585 करोड़ रूपये) के अनुमानित नुकसान को रोकने तथा जिम्मेवार अधिकारियों को दण्डित किये जाने का अनुरोध किया है।

पत्र में लिखा गया है कि समता आन्दोलन समिति को राज्य सरकार द्वारा की जा रही कनष्ठि लिपिक/ कनिष्ठ सहायक के 1254 पदों की अविधिक बैकलॉग भर्ती के बारे में आर. टी. आई. आवेदनों पर आधे से अधिक पदों से सम्बन्धित विभागों/नियुक्ति अधिकारियों से लिखित सूचना प्राप्त हो चुकी है कि उनके यहाँ कोई बैकलॉग पद नहीं थे।

शेष विभागों से भी जानकारियाँ आगे आ जायेंगी। प्रशासनिक सुधार विभाग की सम्बन्धित पूरी पत्रावली की प्रमाणित प्रति हमारे पास है जिसकी नोटशीट्स , टिप्पणियाँ , पत्राचार , आदेश स्वत: प्रमाणित करते हैं कि राज्य सरकार के पास एल.डी.सी./ कनिष्ठ सहायक के कोई भी बैकलॉग पद नहीं होते हुए अविधिक रुप से 1254 पदों पर अपवित्र उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ये भर्तियाँ की जा रही है।

उपरोक्त अविधिक भर्ती से आगामी 35-37 वर्षो में राज्य सरकार को रूपये 3,95,84,48,63,040/- की भारी भरकम राशि का नुकसान होने जा रहा है। इस अनुमानित नुकसान की गणना रिपोर्ट राज्य सरकार के लेखा मर्मज्ञ पूर्व वित्तीय सलाहकार एवं निदेशक (वित्त) श्री बी0 एस0 जोशी से भी अनुमोदित करवायी गयी है।

पत्र में बैकलॉग के नाम से 1254 पदों पर की जा रही अविधिक भर्ती को तत्काल निरस्त कराने एवं राज्य सरकार को होने वाले (लगभग 39585 करोड़ रूपये)नुकसान को रोकने तथा दोषी अधिकारियों को समुचित रुप से दण्डित कराने का अनुरोध किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि इस पत्र/ज्ञापन को विधिक नोटिस के रुप मे लेवें ।

पत्र की प्रति गृह मंत्री, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार, सतर्कता आयुक्त नई दिल्ली, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को भी भेज कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से अंकेक्षण की मांग

समता आन्दोलन समिति ने प्रिंसिपल एकाउण्टेण्ट जनरल ऑडिट-प्रथम,कार्यालय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, जयपुर को पत्र भेजकर सारी स्थिति से अवगत कराते हुये राज्य सरकार के संबंधित विभाग से सभी रिकार्ड तलब कर विशेष अंकेक्षण करवाया जाने और राज्य सरकार को होने वाले (लगभग 39585 करोड़ रूपये) नुकसान को रोकने एवं दोषी अधिकारियों को दण्डित करवाने का निवेदन किया गया है।

सरकार हाईकोर्ट के आदेशों के प्रति उदासीन

मीणा समुदाय ने गैर मीणा आदिवासियो से छीनी 1.32 लाख नौकरियां

जयपुर। राजस्थान प्रदेश में बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र के आदिवासी हिसंक आंदोलन किया गया। उनकी मांग है कि सामान्य वर्ग के 1167 शिक्षक पदों पर अनुसूचित जाति आरक्षण से भरा जाए।

राज्य में गैर मीणा आदिवासियों और टीएसपी एरिया के आदिवासियों के पिछड़ेपन एवं सरकारी नौकरियों से वंचित रहने का कारण उत्तरी राजस्थान का मीणा समुदाय है। तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित अनुमान के अनुसार उत्तरी राजस्थान के सशक्त मीणा समुदाय द्वारा गैर - मीणा आदिवासियों से पिछले 70 सालों में लगभग 1.32 लाख नौकरियां छीनी जा चुकी है। जिससे गैर - मीणा समुदाय की आज भी अधिक स्थिति कमर तोड़ने वाली बनी हुई हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनजाति की संख्या 92.38 लाख हैं। जनसंख्या में 35 लाख मीणा है तथा लगभग 52 लाख गैर मीणा आदिवासी है। इस प्रकार सरकारी सेवा में 38 हजार मीणा समुदाय तथा 62 हजार गैर मीणा जनजाति के होने चाहिए। जबकि वर्तमान में गैर मीणा समुदाय के मुश्किल से 25 हजार लोग सरकारी नौकरियों में और 75 हजार लोग केवल मीणा समुदाय के है।

राजस्थान प्रदेश में टीएसपी एरिया के गैर मीणा समुदाय के आदिवासियों की लगभग 37 हजार नौकरियां मीणा समुदाय के पास है जो गैर - मीणा समुदाय के साथ अन्याय को दर्शाता है। गैर मीणा समुदाय को न्याय दिलाने में कोई भी सरकार अभी तक सामने नहीं आई है जो आरक्षित वर्ग होने के बाद भी आरक्षण का लाभ लेने से वंचित रह रहे हैं।

यदि 70 सालों से इस बात की न्यायिक जांच हो तो मीणा समुदाय ने गैर - मीणा समुदाय को लगभग 1.32 लाख नौकरियों पर कब्जा जमा रखा है। इनमें से हजारों लोग कई साल पहले सेवानिवृत्ति हो चुके है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सुगन लाल भील की याचिका में दिनांक 18 फरवरी 2014 को स्पष्ट आदेश दे रखा था कि मीणा समुदाय को जनजाति आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएं । यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की कभी पालना नहीं की तथा मीणा समुदाय को लागातार असली आदिवासियों की नौकरियां छीन लेने की अविधिक सुविधा मिलती रही।

अनुसूचित जनजाति आरक्षण को गंभीर विसंगतियों को देखते हुए सरकार को राजस्थान अनुसूचित जनजाति को दो वर्ग में तत्काल वर्गीकृत करना होगा। पूर्वी और उत्तरी पूर्वी दस जिलों के मीणा समुदाय के लिए 5 प्रतिशत तथा शेष गैर मीणा के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण रखना जरुरी होगा।

जब तक मीणा समुदाय द्वारा छीनी गई 1.32 लाख सरकारी नौकरियां गैर मीणा जनजाति को नहीं मिल जाती तब संपूर्ण जनजाति आरक्षण को गैर - मीणा जनजाति के लिए आरक्षित रखा जाए। । मौजूदा 1167 शिक्षक पदों के लिए खाली पदों पर सामान्य - ओबीसी वर्ग के योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी देने के लिए आवश्यकता अनुसार कटऑफ में अर्थात न्यूनतम उत्तीर्णांक में 5 से 10 तक की छूट दी जा सकती है।

आरक्षण को लेकर किसी भी वर्ग को इतना हावी न होने दे कि देश में वर्ग संघर्ष का विकराल रुप देखने को मिले जिससे देश की अखंडता को भारी नुकसान हो सकता हैं।

सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की उसको सभी वर्गों को समानता की दृष्टि से देखकर निर्णय करने चाहिए। अमानवीय आंदोलन करने वालों की मांगो को स्वीकार करके दूसरे वर्ग को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष की कलम से

हम है लोक उत्सवधर्मी

साथियों,

हम प्रतिदिन समता और समन्वय का नया प्रयास करते हैं। इतिहास और पूर्वजों का गरियाना हम उचित नहीं मानते। जबकि वर्तमान में जीना और उसकी जटिलताओं को सुलझाना नहीं तो कम से कम उन्हे सरल बनाने के प्रयास में विद्वेष और कटुता हमारे उपकरण नहीं हैं। हम सब अपने धर्म-जाति सहित भी और रहित भी पहले भारतीय हैं। दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जो हमारे भारतीय होने के जीन को बदल सके।

सबकुछ नहीं तो बहुत कुछ को बदल देना चाहते हैं। इसके लिये जो मार्ग चुना है वो संवैधानिक है। धर्माचरण करने वालों को यह बात कुछ अटपटी लग सकती है लेकिन राष्ट्रीय सच यही है कि देश-दुनिया के सभी धर्मग्रंथों से अधिक मानव उपयोगी है हमारा संविधान। धर्म हमें हमारी निजता देता है। किंतु, संविधान इस निजता को परता से जोड़ता है।

बारह सालों से अनवरत चल रही हमारी संवैधानिक साधना के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आई। कदम-कदम पर जिद और जड़ता से दो चार होना पड़ा है। फिर भी नित्त नये मार्ग तलाशे हैं। यहाँ तक कि कथित राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं हैं।

फिर भी हमने प्रयोग किये हैं। लोकतंत्र में प्रयोग धर्मिता एक लगातार चलने वाला उत्सव हैं। हम इस उत्सव में उल्लास के साथ शामिल हैं और रहेंगे। समता आन्दोलन के सभी सदस्यों को दीपोत्सव की हार्दिक बधाई।

सादर।

सम्पादकीय

"लोकतंत्र कहने से नहीं सहने से चलता है"

इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव देश के मानस पटल पर छाया हुआ है। पार्टियाँ और उनके नेता एक दूसरे को गरिया रहे हैं। गाली-गलौच भी कभी-कभी हो जाता है। फिर भी ऐसा होता है और कई बार होता है कि सभ्यता का नाम जपने वाली, आदर्शों का दामन नहीं छोड़ने वाला जीत जाता है। दिल्ली विधान सभा के पिछले चुनाव सभी को याद हैं। पिद्दी सी (तत्कालीन) आम आदमी पार्टी को हराने के लिये बड़ी पार्टियों ने नैतिकता की जारी सीमाए लांघ दी। परिणाम जब आया तो बड़ी पार्टियाँ प्राय: पूरी तरह साफ थी। इससे विश्वास बना कि सच में जिसे लोकतंत्र कहते हैं वो कहने से अधिक सहने से सफल होता है।

सहने की यही पवित्र धारा पिछले 70 सालों से जाति आरक्षण को लेकर देश में वह रही है। सब जानते हैं कि कथित राजनीति में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करने पर प्रबल विरोध हुआ था। खुद डा. अम्बेडकर ने इसका समर्थन नहीं करते हुए मात्र दस साल तक इसे लागू करके लिखा था कि उसके बाद ये स्वत: निरस्त हो जायेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी विषय को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस पानाचंद जैन की याचिका पिछले दस सालों से अपनी धूल झड़ने की प्रतीक्षा कर रही है। सुना तो ये भी है कि हरियाणा के एक सामाजिक नेता मांगे राम शर्मा की आरक्षण सम्बंधी याचिका पिछले 20 सालों से सुनवाई की बारी का इंतजार कर रही हैं।

सहनशक्ति की दृष्टि से देश के जनबल की बात कहें तो मायावती जो जहरीली और आक्रामक शैली के बल पर खड़ी हुई थी उसे सब जानते हैं लेकिन उसे पूर्ण सत्ता तब मिली जब उसने मानसिक जहर को निकालकर समन्वय का गीत सुनाया। बिहार से स्वर्गीय रामविलास पासवान भी पूरे जीवनभर जाति आधारित नीति पर चले और अपनी अवसरवादिता का खुला व भोंडा प्रदर्शनकिया। उनके दिवंगत होते ही लोजपा एक झटके में धड़ाम हो गई। देश की बड़ी पार्टी ने यहाँ तक कह दिया कि लोजपा केवल "वोट कटवा" पार्टी हैं। लालू यादव का जातिवाद जेल की रोटियाँ खा रहा है। उदित राज? इस इन्सान को राजनीति समझ नहीं आई। परिणाम स्वरूप मात्र एक बार सांसद बनने के लालच में सबकुछ गंवा बैठे।

आज के दिन अनुसूचित जाति/जनजाति का एक भी नेता ऐसा नहीं बचा है जिसकी आवाज अलग और साफहो। देश की जनता ने उंदड और हिंसक जातिवादी नेताओं को खूब सहा है। खूब ही सहा है। उसी सहन-शीलता का प्रमाण है कि भारत में कम से कम नौकरियों में आरक्षण को लेकर जो जनता के साथ दुरव्यवहार होता था अब उसके दिन लदने वाले है। जाति वादी नेताओं के बौखलाहट भरे बयान और काम इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हांलाकि देश के सामने दूसरी बहुत सी और बड़ी समस्याएं हैं लेकिन जातिवादी आरक्षण उन सबके लिये कैटेलिस्ट(उत्पेरक) का नाम करता है। इसे निष्प्रभावी बनाने में असंदिग्ध रूप से जनमानस की सहनशक्ति बहुत बड़ा कारक है। इसीलिए भारत हर बड़े अवसर पर शांति और सहनशक्ति के प्रतीक संफेद कबूतर उड़ाता रहा है।

जय समता ।

- योगेश्वर झाड़सरिया

सोशल मीडिया जो कहता है !

दलित-सवर्ण कौन ?

दलित और सवर्ण दोनों ही मूल शब्द न होकर गढ़े हुए हैं। इनका प्रयोग करने वाले भी इनका सही मतलब नहीं जानते हैं। हाल ही सोशल मीडिया पर एक रोचक वार्तालाप देखा तो लगा इसे समतावादियों तक पहुंचना चाहिए। तो बात कुछ यूं है .

तुलसीदास ब्राह्मणवादी थे, यह निर्विवाद है, निराला ने तुलसीदास को नायक बनाया, वे भी ब्राह्मणवादी हुए, रामविलास शर्मा ने निराला को श्रेष्ठ सिद्ध किया, वे घोर ब्राह्मणवादी हो गये। कितना सीधा-सादा अकाट्य तर्क है!

गणित के सूत्र भी इतने दो-टूक नहीं होते होंगे।

अनेक विद्वान राम को आराध्य बनाने के कारण तुलसीदास की निंदा करते हैं क्योंकि राम ने सीता का परित्याग किया, शूद्र तपस्वी शंबूक का वध किया। यह भी उतना ही सीधा-सादा अकाट्य तर्क है!!

भलेमानुसों को कौन बताए कि रामचरितमानस में रामराज्य के बाद की कथा है ही नहीं, उत्तर-रामचरित है ही नहीं।

इन विद्वानों का मनुष्य के विकास में कोई विश्वास नहीं जान पड़ता। निराला ने शुरूआत में प्राचीन वर्ण.व्यवस्था को इतिहास के आरंभिक दौर के लिए उपयोगी मानते हुए कुछ बातें कही थीं। उन्हीं दिनों वे शूद्रों के शरीर से सूक्ष्म परमाणु निकलने की बात भी कहते थे जो शेष समाज के लिए हानिकर थे। यह सूचना इसलिए दे रहा हूँ कि कोरस में शामिल विद्वानों को कभी मूल रचना देखने की जहमत नहीं उठानी पड़ती। इसे भी वे जान लें ताकि कोरस (कीर्तन) में और जान आ जाय।

पर इस मनोलोक को पीछे छोड़कर निराला बहुत आगे बढ़ गए। उनके गाँव के चतुरी जाति के चमार थे इसलिए उन्होंने 'चतुरी चमार' नामक रचना लिखी। कीर्तन मण्डली में शामिल लोगों में शायद किसी ने पढ़ी हो। जमींदार के शोषण से मुक्ति पाने में निराला चतुरी की सहायता करते हैंए उसके लड़के अर्जुन को अपने घर बुलाकर पढ़ाते हैं और चतुरी से कबीर के पदों के अर्थ सुनकर चमत्कृत होते हैं क्योंकि वह अनुभव-जनित-अर्थ-परंपरा है। अर्जुन के साथ कामगार जातियों के और बहुत-से लड़के भी आने लगे, निराला उन सबको पढ़ाते थे। कनौजिया समाज ने निराला का विरोध किया, उनका वहिष्कार किया।

कुल्ली भाट उनके ससुराल के थे। ब्राह्मण समाज में उसी तरह अछूत जैसे निराला हो गये थे। कुल्ली की कुछ आदतें ऐसी थीं कि उन्हें राक्षस कहा जाता था, उनसे दूर रहने की सलाह दी जाती थी। लेकिन वही कुल्ली मुसलमान स्त्री से विवाह करते हैं और अछूत बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठशाला खोलते हैं। बाद में उन्हीं कुल्ली को देवता कहा जाने लगा। इस काम में निराला का प्रोत्साहन था। उच्च वर्णों के लोग कोई सहयोग नहीं करते, निराला पूरी तरह कुल्ली के साथ डटकर खड़े होते हैं। जब पाठशाला में निराला को अतिथि के रूप में बुलाया गया तब उन बच्चों की भावना से द्रवीभूत होकर निराला अनुभव करते हैं कि छायावादी कवि होने का उनका गर्व हवा हो गया। इन अछूत बच्चों में उन्हें मनुष्यता का सच्चा प्रकाश दिखाई देता है।

ऐसे बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं। यह सब उस प्रारंभिक कथन के बाद का है और इसी दिशा में निराला का विकास बराबर होता गया। आजादी के बाद जनता की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और राजनीति की हालत देखकर कोई आशा भी नहीं बँधती थीए तब वे पुराने भक्तिभाव को नया रूप देते हुए गीत लिख रहे थेकृष्दलित जन पर करो करुणाध् दीनता पर उतर आये माँ तुम्हारी शक्ति वरुणा!

और ये निराला ब्राह्मणवादी हैं!!

यह सब कुतर्क नहीं है!!

दलितावतार लेते ही किसी को भी छूट मिल जाती है कि किसी के बारे में कोई भी अनर्गल प्रलाप करे!!

डॉक्टर आंबेडकर की बात की जाती है। निवेदन है कि पहले पन्ने से आगे भी बढ़ें। आंबेडकर ने श्मूल निवासीश् वाली जड़ समझदारी का विरोध किया है। वे न आर्य नस्ल का सिद्धांत मानते हैंए न आर्यों के किसी आक्रामक का मार्शल द्वारा दिया गया काल्पनिक विचार।

क्या यह पूछना ब्राह्मणवाद तो नहीं होगा कि आंबेडकर के चिंतन में अंतर्विरोध हैं या नहीं?

आंबेडकर दलित की अस्मिता को हमेशा श्रमिक के रूप में क्यों रेखांकित करते थे?

क्या आंबेडकर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के हिमायती थे? उनके वैचारिक विकास को देखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि वे आज होते तो अमरीकी साम्राज्यवाद का समर्थन करते?

क्या आंबेडकर दलित प्रश्न का समाधान सामाजिक संबंधों के परिवर्तन में नहीं देखते थे?

यदि ऐसा होता तो वे यथास्थितिवादी होते। मैं आंबेडकरवादी नहीं हूँ लेकिन उन्हें यथास्थितिवादी नहीं मान सकता।

हमारे कुछ दलित विमर्शवादी जिस तरह बिना पढ़े.लिखे कोरस (कीर्तन) में शामिल हो रहे हैं, बिना विवेक का उपयोग किए हरेक की छीछालेदर कर रहे हैं, वह न उनके हित में है, न समाज और साहित्य के।

रही बात रामविलास शर्मा की तो उन्होंने आंबेडकर के इस सुझाव को लेकर अभियान चलाने की बात कही है कि सभी मंदिरों का राष्ट्रीयकरण किया जाय और उन मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति यूपीएससी से की जाय। इन नियुक्तियों में भी सरकारी नौकरी की तरह आरक्षण लागू किया जाय। हर पद की तरह पुजारी की योग्यता निर्धारित होए जो इन योग्यताओं को पूरा करेए उसे नियुक्त किया जाय। इससे जातिवाद मिटाने में सहायता मिलेगी।

जाति को ही हर चीज के देखने की आँख बनाने वाले जातिवाद विरोधी हैं क्योंकि दुर्भाग्य से दलित जातियों में उत्पन्न हुए हैं और जातिवाद की जड़ पर प्रहार करने वाले रामविलास शर्मा ब्राह्मणवादी हैं क्योंकि वे डॉक्टर आंबेडकर के क्रांतिकारी सुझाव का समर्थन करते हैं!!

है न कमाल का तर्क?!?!

मैंने ऊपर लिखा कि ये किसी विकास या परिवर्तन में विश्वास नहीं करते। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है विचार और दृष्टिकोण को जन्म से निर्धारित करना। एक बार जो किसी जाति में उत्पन्न हो गयाए उसीसे वह हमेशा हर चीज को देखेगा।

यह जघन्य किस्म का नियतिवाद है। पुराने नियतिवाद का सहयोगी। क्या दलितों में शोषक नहीं होते और गैर.दलितों में गरीब-शोषित नहीं होते? क्या आरंभ से आज तक वर्ण व्यवस्था और जातिवाद के विरुद्ध सारा संघर्ष केवल दलित जातियों में जन्म लेने वालों ने ही चलाया है? अगर उन्होंने अपनी सीमाएँ नहीं तोड़ीं तो यह कैसे संभव हुआ?

इसलिए निवेदन है कि नियतिवाद से बाहर निकलिए क्योंकि नियतिवाद किसी के हित में नहीं है, दलितों के हित में और भी नहीं है।

कार्मिक ने विभागों से टाइम बाउंड प्रमोशन को लेकर सूचनाएँ मांगी

सरकार की जनघोषणा की पालना में कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से यह ब्योरा मांगा गया है कि हर सेवा में न्यूनतम अनुभव के अनुसारन क्या प्रमोशन हो रहे है? ऐसा नहीं हैं तो कितने समय में प्रमोशन हो रहे हैं इसका सेवा वार और पदवार विवरण मांगा गया है और सभी सेवाओं के पद के लिए डयूटीज का ब्योरा मांगा गया है।

पौराणिक कथन : 'उपमन्यु'

वसु के पुत्र। महर्षि आयोद धौम्य के शिष्य। गुरू के आशीर्वाद से इन्हें वेद-धर्मशास्त्र कंठस्थ हुए।

गांधी ने जो मार्ग दिखाया,
जातिवाद वो समझ न पाया।
अब तक असमंजस में दिखता,
सोच-सोचकर हुआ पराया।।

कविता

अपनी राहें मोड़ो

दौड़ो दौड़ो दौड़ो,
अब अपने हित दौड़ो।
सांपो को दूध पिलाना
छोड़ो छोड़ो छोड़ो।
जिनको साथ खिलाया
रोने पर बहलाया,
धावों को सहलाया,
पढना तक सिखलाया।
उनने रच दीं कारा-
बढकर उसकों तोड़ो
दौड़ो दौड़ो दौड़ो,
अब अपने हित दौड़ो।
सांपो को दूध पिलाना
छोड़ो छोड़ो छोड़ो।
बालक अपना कोसा,
उनके सुत को पोसा।
सबकुछ करके हारे,
जीत न सके भरोसा'
आगे बस तमस खड़ा
अपनी राहें मोडों।।
दौड़ो दौड़ो दौड़ो,
अब अपने हित दौड़ो।
सांपो को दूध पिलाना
छोड़ो छोड़ो छोड़ो।
मौसम नहीं सुहाना,
अपना अब बेगाना।
हर चौराहे अजगर,
मुश्किल है बच पाना ।
बचना है तो उनकी
बाहें जोर मरोड़ों।।
दौड़ो दौड़ो दौड़ो,
अब अपने हित दौड़ो।
सांपो को दूध पिलाना
छोड़ो छोड़ो छोड़ो।

– दिवाकर जांगिड़ –

शिक्षा में आरक्षण : अनुच्छेद 14 का उल्लंघन

गतांग से आगे:-

अनुच्छेद 51-ए को उलटा करते हुए ये न्यायाधीश तर्क देते है कि संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए दोहरा कर्तव्य निर्धारित किया गया है। पहला, उसे उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए; दूसरा, देश को उत्कृष्टता प्राप्त करने में उसे अपना हरसंभव योगदान करना चाहिए। ये समर्व्य जिस प्रकार अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के संदर्भ में लागू होते हैं, उसी प्रकार अन्य सभी सदस्यों के संदर्भ में भी लागू होते हैं।

इसका अर्थ हुआ कि शासन-प्रशासन को इस प्रकार की स्थिति तैयार करनी चाहिए कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य स्वयं भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें और देश को उत्कृष्टता प्राप्त करने में भी अपना अधिकतम संभव सहयोग दे सकें। इसके लिए उन्हें कॉलेजों और सेवाओं में प्रवेश की सविधा उपलब्ध करानी होगी।

लेकिन इतने से भी समस्या हल नहीं होगी। चूँकि वे अपनी व्यक्तिगत योग्यता क बल पर कॉलेजों या सेवाओं में पहुँचने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए उनके लिए अलग से सीटें और पद आरक्षित करने होंगे तथा अन्य सामान्य श्रेणी के सदस्यों को उन आरक्षित सीटों या पदों से बाहर रखना होगा।और, चूँकि उच्च स्तरीय पदों पर अपना अधिकार बनाए बिना वे उत्कृष्टता प्राप्त करने में देश का सहयोग नहीं कर सकेंगे, अत: उच्च स्तरीय पद भी उनके लिए आरक्षित किए जाने चाहिए। यानी स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर दोनों स्तर के पाठ्यक्रमों में आरक्षण; नियुक्ति के साथ-साथ पदोन्नति में भी आरक्षण; एक नहीं, सभी सेवाओं और सभी स्तरों पर आरक्षण? और अब, सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं के साथ-साथ व्यक्तिगत क्षेत्र की सेवाओं में भी आरक्षण?

कायरता और सिद्धांत का संयोग

कोई न्यायाधीश अनुच्छेद 335 के आधार पर कह सकता है- सरकार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यथार्थ(अथवा परिणामी) समानता सुनिश्चित करना उसका मौलिक कर्तव्य है और ऐसा करने से प्रशासन की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती। या फिर, अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारों पर विचार करते समय सरकार को प्रशासन की गुणवत्ता को ध्यान में रखना चाहिए, क्योकि यह सर्वोपरि है....।

और इतना ही नहीं, कई ऐसे निर्णय हैं, जिन्हें कोई न्यायाधीश अपने मामले पर निर्णय देते समय आधार बना सकता है। मूल निर्णय देनेवाला न्यायाधीश जितना ज्यादा शब्दार्डबरी होगा, उसका निर्णय परवर्ती न्यायाधीशों के लिए उतना ही ज्यादा सहायक होगा। कारण यह है कि कई न्यायालयों में

लेकिन एक समस्या और है, जो इससे भी बड़ी है। सार्वजनिक बहस में जातिवादियों द्वारा और न्यायपालिका में अनके सहयोगियों यानी प्रगतिवादियों द्वारा नैतिकता की लड़ाई लड़ी गई है, जिन्होंने भारत की वास्तविकता या सच्चाई की ओर देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ जाति ही वर्ग है। परिणामस्वरूप् न्यायपलिका को जब भी ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ता है, वह रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए कायरता का सहारा लेती है।

प्रकार के हर निर्णय का हर वाक्य पूर्व के निर्णयों पर आधारित होता है।राम भगत सिंह बनाम हरयाणा राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय अपनी टिप्पणी को दोहराते हुए कहता है कि समानता केवल समान स्तरवालों के बीच ही हो सकती है, अत: '' जहाँ असमान स्तरवाले प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, वहाँ शर्तों में ढील देनी चाहिए, ताकि सरकारी नौकरियों के लिए वे समान रूप् से प्रतिस्पर्धा कर सकें।'' न्यायालय आगे कहता है-

समाज के जो वर्ग अथवा समूह ऐतिहासिक अथवा अन्य कारणों से अन्य समूहों समुदायों के सदस्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम प्रतिस्पर्धा करने में उनकी मदद की जानी चाहिए; लेकिन यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि अवसर की समानता सार्वजनिक सेवाओं में दी जाए। संबंधित सेवा की गुणवत्त और उत्कृष्टता सर्वोपरि है।

पहले एक बात-

सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। सार्वजनिक सेवाएँ अथवा सेवायोजन समानता के रूप् में सभी को नौकरी देने के लिए नहीं हैं। सार्वजनिक सेंवाएँ और सेवायोजन का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा होना चाहिए और संवैधानिक समानता सुनिश्चित करने के नाम पर ऐसी कोई भी शर्त अथवा स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती, जिससे सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो।।

और फिर दूसरी बात-

जैसा प्राय: कहा जाता है, योग्यता या गुणवत्ता की सतही धारणा के चलते अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियों को समानता की स्थिति सुनिश्चित कराने की आवश्यकता को भुलाया नहीं जा सकता।

और फिर वापस पहली बात पर-

फिर भी गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

और अब वापस दूसरी बात पर-

यथार्थ (अथवा परिणामी) समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अर्थात् जो जी में आए वही मान लें- चाहे यह मान लें कि न्यायालय ने एक सुझाव दिया है या यह मान लें कि उसने मामले को कार्यपालिका के ऊपर छोड़ दिया है अथवा न्यायालय अपनी इच्छानुसार मामले को इधर से उधर उछाल रहा है।

लेकिन एक समस्या और है, जो इससे भी बड़ी है। सार्वजनिक बहस में जातिवादियों द्वारा और न्यायपालिका में अनके सहयोगियों यानी प्रगतिवादियों द्वारा नैतिकता की लड़ाई लड़ी गई है, जिन्होंने भारत की वास्तविकता या सच्चाई की ओर देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ जाति ही वर्ग है। परिणामस्वरूप् न्यायपलिका को जब भी ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ता है, वह रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए कायरता का सहारा लेती है। न्यायपालिका से संबंधित एक मामला यहाँ उल्लेखनीय है।

हर मामले में संकोची

हम प्राय: सोचते हैं कि कम-से कम न्यायपालिका तो जाति-आधारित आरक्षण से बची हुई है। हमारी इस सोच के पीछे कारण यही है कि हम वास्तविक स्थित से परिचित ही नहीं हैं। पटना उच्च न्यायालय अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए निचली अदालतों में 14 प्रतिशत पद आरक्षित कर रहा था और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 10 प्रतिशत पदों पर अलग से आरक्षण दे रहा था। सन् 1991 में बिहार सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके आरक्षण की घोषणा कर दी। विधायिका ने भी बिना कोई समय गँवाए इस अध्यादेश को अधिनियम में बदलकर आरक्षण को अपनी मंजूरी दे दी। न्यायालय में इस अधिनियम के खिलाफ याचिका दायर की गई। मामला अंतत: सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया। जिस आधार पर उसने इसे असंवैधानिक करार दिया था, उससे सब कुछ साफ हो जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में टिप्पणी की थी कि निचली न्यायपालिका में नियुक्तियाँ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की सलाह से राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। उस मामले में उच्च न्यायालय के परामर्श को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए और कुछ विशेष परिस्थिति में ही राज्यपाल उच्च न्यायालय से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। उस मामले में उच्च न्यायाल के परामश्र को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए और कुछ विशेष परिस्थिति में ही राज्यपाल उच्च न्यायालय के विपरीत जा सकता है। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई अधिनियम पारित करके पद अलग से आरक्षित करना ठीक नहीं है। आवश्यक समझने पर राज्यपाल और उच्च न्यायालय आपसी विचार-विमर्श के बाद संबंधित वर्गों के लिए निष्पक्ष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर सकते थे।

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

सामान्य वर्ग के खाली पदों पर आरक्षित वर्ग को पदोन्नति की छूट रद्द

जयपुर। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने राज्य सरकार के उस प्रावधान को गलत मानते हुए रद्द कर दिया है, जिसमें एससी-एसटी वर्ग का पदोन्नति रोस्टर भरा होने पर इस वर्ग के कर्मचारियों को सामान्य व ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों के खाली पदों पर पदोन्नति की छूट दी थी।

अधिकरण ने कहा कि एससी-एसटी वर्ग के पदों का पूरा रोस्टर भरा होने पर उन्हें सामान्य वर्ग के खाली पदों पर पदोन्नति नहीं दी जा सकती। अधिकरण ने यह आदेश पीएचईडी विभाग में एईएन से एक्सएईएन पद पर पदोन्नति के मामले में सुनिल कुमार बाकलीवाल की अपील पर दिए हैं।

वहीं अधिकरण ने पीएचईडी विभाग को निर्देश दिए है कि वह 2018-19 व 2019-20 के लिए एईएन से एक्सईएन पद पर पदोन्नति के लिए रिव्यू डीपीसी करे।

अपील में अधिवक्ता शोभित तिवाड़ी ने बताया कि अपील में कार्मिक विभाग के 13 सिंतबर 2013 व 12 सिंतबर 2019 के उस प्रावधान को चुनौती दी थी, जिसमें एससी-एसटी वर्ग का रोस्टर पॉइंट भरा होने व सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के खाली पद होने पर एससी,एसटी वर्ग के कर्मचारियों को सामान्य वर्ग के पदों पर पदोन्नति देने की छूट दी थी।

अपील में कहा कि राज्य सरकार के ये प्रावधान राज्य सरकार के ही आरक्षण के संबंध में 11 सितंबर 2011 को जारी अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत हैं। ऐसे में विभाग केवल एक परिपत्र के जरिए इसे नहीं बदल सकता।

आरक्षण का रोटेशन पालिकाओं में क्यों नहीं हुआ लागू: हाईकोर्ट

राज्य निर्वाचन विभाग और सरकार को नोटिस

जयपुर। हाईकोर्ट ने राज्य की 193 निकायों में एससी एसटी आरक्षण के प्रावधान को रोटेशन के अनुसार लागू नहीं करने पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने निर्वाचन आयुक्त,मुख्य सचिव और सचिव डीएलबी को नोटिस जारी कर पूछा है कि एससी, एसटी के आरक्षण को हर बार कुछ चुनिंदा सीटों तक ही सीमित क्यों रखा जा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महान्ति और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खण्डपीठ में योगन्द्रकुमार ने जनहित याचिका दायर की है। जिसमें कहा है कि नीति निर्माताओं ने एससी एसटी वर्ग को चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण के प्रावधान लागू किये थे। शहरी निकाय में एससी,एसटी का आरक्षण उनकी जनसंख्या की अधिकता तक ही सीमित कर दिया है। 40 सालों में हुए चुनावों में एससी व एसटी वर्ग की जनसंख्या व रोस्टर के आधार पर बारी-बारी से सभी नगर निगम, पालिका और परिषदों में मेयर व सभापति के पद आरक्षित रखने चाहिए थे। इसके बावजूद राजनीतिक कारणों के चलते इनके आरक्षण का हर चुनाव में कुछ चुनिंदा सीटों तक ही सीमित कर दिया जाता है। इससे न तो इन चुंनिदा सीटों पर कभी सामान्य वर्ग का उम्मीदवार आ पाता है और ना ही दूसरी सीटों पर आरक्षित वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल पाता है।

अनुकरणीय
बाबू लाल विजयवर्गीय,
प्रदेशाध्यक्ष, स्कूल शिक्षा प्रकोष्ठ

मेरा समता आन्दोलन से परिचय ज्यादा पुराना नहीं है। कथित दलितों द्वारा भारत बन्द 02अप्रैल 2018 को उन्होंने सामान्य तथा ओबीसी वर्ग की दुकानों में तोड़फोड़ तथा लूटपाट की। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्रवादी समाज को संगठित करने के लिए बॉदीकुई, जिला-दौसा, राजस्थान में समता आन्दोलन बॉदीकुई वाट्सऐप ग्रुप की स्थापना मेरे मित्रों द्वारा 23 अप्रैल 2018 को की गई।

जबरदस्त सहयोग के कारण प्रथम ग्रुप एक ही दिन में भर गया। सहयोग का क्रम चलता रहा। अब ग्रुप का नाम बदलकर दौसा जिले के नाम पर कर दिया गया। दौसा जिले के बाहर के लोग भी भारी संख्या में जुड़ने के कारण ग्रुप का पु:न नाम बदल कर समता आन्दोलन राजस्थान कर दिया गया। ग्रुपों की पहचान के लिए अंक दिए गए। हजारों की संख्या में राजस्थान के सभी जिलों से सहमति लेकर एडमिन बनाये गए। वर्तमान में 01 से101 तक वाट्सऐप ग्रुप राजस्थान समता आन्दोलन के नाम से तथा 102 से 106 तक ग्रुप अन्य राज्यों के होने के कारण राष्ट्रीय समता आन्दोलन के नाम से चल रहे है।

परम् आदरणीय समता आन्दोलन के संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान् पाराशर नारायण जी शर्मा ने मेरी कठोर मेहनत को मान्यता देते हुए, मुझे समता राजस्थान स्कूल शिक्षा सेवा प्रकोष्ठ का 16 मई 2020 को प्रदेशाध्यक्ष बनाया। इसके लिए मैं आपका एवं समस्त समता समता पदाधिकारियों तथा कार्यकर्त्ताओं का तहे दिल से आभारी हुँ। इसके बाद स्कूल शिक्षा सेवा प्रकोष्ठ की एक माह में 87 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया। सभी जिलों के पदाधिकारियों को अपने.अपने जिले के पॉच-पॉच ग्रुप बनाने के लिए निवेदन किया गया। जिसमें उत्साहजनक सफलता मिल रही है।

वर्तमान में मेरे मित्रों द्वारा संचालित समता आन्दोलन के ग्रुपों की कुल संख्या 225 से भी अधिक है। जिनकी कुल सदस्य संख्या 45,083 है। यह उपलब्धि मात्र 30 माह की है। इस संख्या को 31दिसम्बर 2020 तक इक्यावन हजार करने का लक्ष्य है।

हमारा लक्ष्य समता की बात को राजस्थान के घर-घर तक पहुँचाना है।

- जय समता

पूरे राजस्थान में समता आन्दोलन ने जन जातीय वर्गीकरण के सौंपे जिला कलेक्टरों को ज्ञापन

डूंगरपूर:- बांसवाड़ा क्षेत्र में जनजाति आरक्षण के नाम पर जो वितंड हुआ उससे पूरा देश चौंक गया। इतिहासकारों को गोविन्द गुरू याद आये। जिनके नेतृत्व में अंग्रेजी शासन काल में भीलों ने विद्रोह किया था। गोलीकाण्ड में सैंकडों जाने गई थी। इस बार के जनजातिय विरोध(उपद्रव?) का सूत्रधार कौन था ये अभी तक साफ नहीं है। निश्चित ही किसी सिरफिरे ने भीलों को भड़काकर सामान्य वर्ग की 1167 सीटों को हड़पने का षड़यंत्र रचा था जो सत्ता के चौकनेपन से पूरा नही हो सका।

तीन चार दिन तक देश के मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाले इस विरोध की असलियत पता करने का प्रयास किसी ने नहीं किया। तब समता आन्दोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराक्षर नारायण शर्मा ने दो पेज का तथ्यात्मक पत्र मुख्यमंत्री सभी सांसदों, विधायकों को भेजकर मांग की ऐसे हिंसक प्रदर्शन फिर से न हों इसके लिये गैर मीणा एवं टीएसपी क्षेत्र के असली आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिये अनुसूचित जनजाति का तुरंत वर्गीकरण किया जाना जरूरी हैं यह भी सुझाव दिया गया। गैर मीणा जनजातियों से छीनी नौकरियाँ वापस मिलने तक 12 प्रतिशत आरक्षण गैर मीणा जनजातियों के लिये आरक्षित लिया जावे।

इसी पत्र को ज्ञापन के रूप में जयपुर, कोटा,पाली, चित्तौडगढ,बीकानेर,अजमेर, करौली, कपासन आदि-आदि शहरों के आयुक्त,जिला कलेक्टर, एसडीम को समता आन्दोलन के प्रतिनिधि मण्डलों ने जाकर ज्ञापन सौंपे और मीडिया को जानकारी दी गई। (चित्र समाचार)

अजमेर के समता आन्दोलन के सदस्य ज्ञापन देने जाते हुये

भरतपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते समता सदस्य

चित्तोडगढ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने हुये समता सदस्य

जयपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने से पहले समता सदस्य

कोटा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने जाते हुये समता सैनिकों का समूह

पाली के समता आन्दोलन के सदस्य ज्ञापन देने जाते हुये

समता आन्दोलन के सदस्यों से निवेदन है कि समता ज्योति आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित करने के लिए अपने विचार, कविता, समाचार, आदि-आदि मुख पृष्ठ पर दिये ई-मेल पते पर या डाक से भेजे।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in